



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239876
CG-DL-E-27102022-239876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4805]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4805]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5023(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4822(अ) तारीख 22.11.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के कि.मी. 120.00 से कि.मी. 253.974 (कोड्युरु -चपरातिपालम, लम्मासिंगी - पड़ेरु सेक्शन) तक के भूखण्ड पर निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि)अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30.11.2021" को "आंध्र प्रभा" और "द हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 516इ के कि.मी. 120.00 से कि.मी. 253.974 (कोड्युरु -चपरातिपालम, लम्मासिंगी - पडेरु सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: अल्लुरी सीतारामा राजू			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जी.मदुगुला				
	गांव का नाम: किस्तापुरम				
1	5	निजी	रितूवारी पुंजा	0.065	जम्मीली इस्वर रओ S/o बालमणिदु (५-१)
2	68	निजी	रितूवारी पुंजा	0.025	पांगी साथी S/o जम्मा (६८-१ए)
	गांव का नाम: पिना किलथारु				
3	18	निजी	रितूवारी पुंजा	0.045	वंजारी समलिंगम S/o बलानेदु (१८-५ए)
4	18	निजी	रितूवारी पुंजा	0.18	ताम्रभा गंठाणडोरा (१८-६)
5	18	निजी	रितूवारी पुंजा	0.035	वंजारी चेल्लम्मा (१८-७ए)
6	19	निजी	रितूवारी पुंजा	0.185	वंजारी अप्पालानेदु S/o काररिनायडु (१९-१ए)
7	20	निजी	रितूवारी पुंजा	0.2816	तमरपु बलिदोरा s/o पनडुडोरा (२०-१ए)

8	7	निजी	रितूवारी पुंजा	0.03	वंजारी आदर्श नायडू S/o सन्यासिनायडु (७-६ बी)
9	7	निजी	रितूवारी पुंजा	0.065	वंजारी काररिनायडु S/o सन्यासिनायडु (७ -१३ बी)
10	8	निजी	रितूवारी पुंजा	0.59	वंजारी रमा नायडू S/o धर्मनायडु (८-६ए)
11	8	निजी	रितूवारी पुंजा	0.02	तमरपु लक्ष्मणराव S/o पनडुडोरा (८-४बी)
12	9	निजी	रितूवारी पुंजा	0.095	वंजारी लक्ष्मं नायडू S/o सन्यासिनायडु (९-२बी)
13	9	निजी	रितूवारी पुंजा	0.39	वंजारी धर्म नायडू S/o सन्यासिनायडु (९-३बी)
14	9	निजी	रितूवारी पुंजा	0.01	वंजारी अप्पालानेदु S/o काररिनायडु (९-६बी)
			कुल	2.0166	

[फा. सं. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2022

S.O. 5023(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 4822(E) Dated 22.11.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening two lane/four-laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway No. 516E on the stretch of land from Km 120.00 to Km. 253.974 (Koyyuru-Chaprahipalam, Lammasingi - Paderu Saction) in the district of Alluri Sitharama Raju in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Andhra Prabha” and “The Hindu” both dated 30.11.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the stretch of land from Km. 120.00 to km. 253.974 (Koyyuru-Chaprathipalam, Lammasingi - Paderu Saction) of NH 516E in the district of Alluri Sitharama Raju in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Alluri Sitharama Raju		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: G.Madugula				
	Village: Kistapuram				
1	5	Private	Rythuari Punja	0.065	Gemmili Eswara rao S/o Balamnaidu 5-1
2	68	Private	Rythuari Punja	0.025	Pangi Sothi S/o Jamma 68-1A
	Village: Pina Kiltharu				
3	18	Private	Rythuari Punja	0.045	Vanjari somalingam S/o Balanaidu 18-5A
4	18	Private	Rythuari Punja	0.18	Tamarbha Ganthannadora 18-6
5	18	Private	Rythuari Punja	0.035	Vanjari Chellamma 18-7A
6	19	Private	Rythuari Punja	0.185	Vanjari Appalanaidu S/o Karrinaidu 19-1A
7	20	Private	Rythuari Punja	0.2816	Tamarapu Balidora s/o Pandudora 20-1A
8	7	Private	Rythuari Punja	0.03	Vanjari Adarsha naidu S/o Sanyasinaidu 7-6B
9	7	Private	Rythuari Punja	0.065	Vanjari Karrinaidu S/o Sanyasinaidu 7-13B
10	8	Private	Rythuari Punja	0.59	Vanjari Rama naidu S/o Dharmanaidu 8-6A
11	8	Private	Rythuari Punja	0.02	Tamarapu Lakshmanarao S/o Pandudora 8-4B
12	9	Private	Rythuari Punja	0.095	Vanjari Lakshmam Naidu S/o Sanyasinaidu 9-2B
13	9	Private	Rythuari Punja	0.39	Vanjari Dharma naidu S/o Sanyasinaidu 9-3B
14	9	Private	Rythuari Punja	0.01	Vanjari Appalanaidu S/o Karrinaidu 9-6B
			TOTAL	2.0166	

[F. No. RW/NH-12037/22/2016-AP/P-7/3D]
RAJESH GUPTA, Director